POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 12.11.2022

1-थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से किडनी ट्रान्सप्लान्ट से सम्बन्धित ग्रुप बनाकर धोखाधडी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.11.2022 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से किडनी ट्रान्सप्लान्ट से सम्बन्धित ग्रुप बनाकर धोखाधडी करने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त 1.शिवम सिंह उर्फ अविनाश पुत्र विष्णुपाल सिंह निवासी विछिया नगरा, थाना मैगलगंज, जिला लखीमपुर खीरी वर्तमान पता महौवे वाला धारा वाली, थाना पटेलनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड 2.प्रवीन कश्यप पुत्र कदम सिंह कश्यप निवासी लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, माजरा, थाना पटेलनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड 3.अनुज पाण्डेय उर्फ अन्नू पुत्र प्रेमनारायण पाण्डेय निवासी ग्राम खेडली, थाना बिलकिस गंज, जिला सिहोर, मध्यप्रदेश को थाना क्षेत्र के एच-9, सेक्टर-63 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरणः

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से किडनी ट्रान्सप्लान्ट से सम्बन्धित ग्रुप बनाकर जिन व्यक्तियों को किडनी की जरूरत होती थी वह इस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों के सम्पर्क में आ जाते थे तथा मोबाइल नम्बर के माध्यम से सम्पर्क कर सभी जानकारियो से अवगत कराते हुये उनको विश्वास में लेकर फर्जी मेडिकल दस्तावेज तैयार कर भोले-भाले लोगों से करोड़ो रूपये की ठगी कर चुके है। दिनांक 10.11.2022 को वादी मुकदमा दीपेश पुत्र राम अवतार सिंह निवासी मयूर विहार फेस-3, दिल्ली के भाई की पत्नी को किडनी देने के नाम पर अभियुक्तों द्वारा वादी से साढ़े 9 लाख रूपये की ठगी करने के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63 पर मु0अ0सं0 465/22 धारा 419/420/467/468/471/406/120 बी भादवि पंजीकृत हुआ था, एक अन्य व्यक्ति स्वर्णाभ शुक्ला के साथ भी उक्त अभियुक्तों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पर्क में आकर माह जून में 15 लाख रूपये की ठगी की गई थी।

अभियुक्तों का विवरणः

1.शिवम सिंह उर्फ अविनाश पुत्र विष्णुपाल सिंह निवासी विछिया नगरा, थाना मैगलगंज, जिला लखीमपुर खीरी वर्तमान पता महौवे वाला धारा वाली, थाना पटेलनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।

2.प्रवीन कश्यप पुत्र कदम सिंह कश्यप निवासी लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, माजरा, थाना पटेलनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।

3.अनुज पाण्डेय उर्फ अन्नू पुत्र प्रेमनारायण पाण्डेय निवासी ग्राम खेडली, थाना बिलकिस गंज, जिला सिहोर, मध्यप्रदेश।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 465/22 धारा 419/420/467/468/471/406/120 बी भादवि थाना सेक्टर-63 नोएडा।

2-थाना बिसरख पुलिस द्वारा 05 शातिर चोर/लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 लैपटॉप, 02 मोबाइल फोन, चोरी की एक मोटरसाइकिल, चोरी की एक स्कूटी, 02 अवैध तमन्चे मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 03 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 12.11.2022 थाना बिसरख पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 05 शातिर चोर/लुटेरे 1.अजय कुमार पुत्र सजंय सिंह निवासी पी.एन.बी बैंक के पास, प्रीत विहार कॉलोनी, छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर 2.सुधांशु पुत्र कृष्ण कुमार निवासी धर्म एन्कलेव, गिरधरपुर सुनारसी, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर 3.यशपाल पुत्र रायसाहब निवासी पी.एन.बी वाली गली, सण्डे बाजार के पीछे, प्रीत विहार, छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर 4.अनुज उर्फ अनुराग पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी सण्डे बाजार के सामने, प्रीत विहार, छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर 5.आकाश पुत्र रामकिशन निवासी पी.एन.बी बैंक वाली गली, बालाजी एन्कलेव, छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर को तिगरी की ओर सर्विस रोड डबल पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का 01 लैपटॉप, 02 मोबाइल फोन, चोरी की एक मोटरसाइकिल, चोरी की एक स्कूटी, 02 अवैध तमन्चे मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 03 अवैध चाकू बरामद हुए है।

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह लोग सुनसान इलाकों में आते-जाते व्यक्तियों से मोबाइल चोरी व मौका लगने पर छीन लेते है। मोबाइल छीनने में वह चोरी के वाहन का इस्तेमाल करते है। ये मोटरसाइकिल व स्कूटी भी इन लोगों ने चोरी की थी जिन पर सवार होकर वह फोन छीनते है ।

अभियुक्तों का विवरणः

1.अजय कुमार पुत्र सजंय सिंह निवासी पी.एन.बी बैंक के पास, प्रीत विहार कॉलोनी, छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

2.सुधांशु पुत्र कृष्ण कुमार निवासी धर्म एन्कलेव, गिरधरपुर सुनारसी, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

3.यशपाल पुत्र रायसाहब निवासी पी.एन.बी वाली गली, सण्डे बाजार के पीछे, प्रीत विहार, छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

4.अनुज उर्फ अनुराग पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी सण्डे बाजार के सामने, प्रीत विहार, छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

5.आकाश पुत्र रामकिशन निवासी पी.एन.बी बैंक वाली गली, बालाजी एन्कलेव, छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0सं0 797/2021 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 739/2022 धारा 414/411/482 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 740/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

4..मु0अ0सं0 741/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

5..मु0अ0सं0 742/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0 743/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

7.मु0अ0सं0 744/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.चोरी का 01 लैपटॉप

2.02 मोबाइल फोन

3.चोरी की एक मोटरसाइकिल

4.चोरी की एक स्कूटी

5.02 अवैध तमन्चे मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर

5.03 अवैध चाकू

3-थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस व एसटीएफ टीम गौतमबुद्धनगर की संयुक्त कार्रवाई में अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 173 किलो 600 ग्राम गांजा (कीमत लगभग 50 लाख रूपये) व तस्करी में प्रयुक्त इनोवा गाड़ी बरामद।

दिनांक 12.11.2022 को थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस व एसटीएफ टीम गौतमबुद्धनगर की संयुक्त कार्रवाई में अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर अज्जू पुत्र नूर अहमद निवासी बरनावा, थाना बिनौली, जनपद बागपत को वेब सिटी सेन्टर टाईगर कोर्ट सेक्टर-32 के सामने से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 173 किलो 600 ग्राम गांजा (कीमत लगभग 50 लाख रूपये) व तस्करी में प्रयुक्त इनोवा गाड़ी बरामद की गई है। अभियुक्त आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में मौजूद अलग-अलग गांजा तस्करों से अपने साथियों के साथ गांजा लाकर नोएडा दिल्ली, एन.सी.आर. क्षेत्र मे बिक्री कर रहे थे।

अभियुक्तों का विवरणः

अज्जू पुत्र नूर अहमद निवासी बरनावा, थाना बिनौली, जनपद बागपत।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 451/2022 धारा 8/20/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट. थाना सेक्टर-24, नोएडा।

बरामदगी का विवरणः

1.173 किलो 600 ग्राम गांजा (कीमत लगभग 50 लाख रूपये)

2.तस्करी में प्रयुक्त इनोवा गाड़ी रजि नं0 डीएल 7 सीजी 4052

4-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा फर्जी पुलिस आई.डी. कार्ड के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.11.2022 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त शनि पुत्र दाताराम निवासी-173, मेवला गोपालगढ़, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर को रुपवास बाईपास तिलपता से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से दो आधार कार्ड व 03 फर्जी पुलिस आईडी कार्ड बरामद हुए है। अभियुक्त शनि के कब्जे से एक गाड़ी रजि0 नं0 एचआर 26 एवी 5037 स्विफ्ट डिजायर का कोई भी कागजात प्रस्तुत ना करने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

अभियुक्त का विवरणः

शनि पुत्र दाताराम निवासी-173, मेवला गोपालगढ,ृ थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 664/2022 धारा 170,171,419,420,467,468,471 भादवि बनाम शनि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.02 आधार कार्ड अलग-अलग पते के

2.03 फर्जी पुलिस आईडी कार्ड

3.एक गाडी रजि0 नं0 एचआर 26 एवी 5037 स्विफ्ट डिजायर का कोई भी कागजात प्रस्तुत ना करने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

#माननीय विशेष न्यायालय, पोक्सो-1, जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्धनगर द्वारा झूठी गवाही देने के आरोपी को जुर्माने से दंडित किया गया।

दिनांक 12/11/2022 को माननीय न्यायालय गौतमबुद्धनगर में समझौते के आधार पर निपटाए जाने योग्य मामलों, अपीलों, चिन्हित वादों व अन्य सिविल वादों से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में माननीय विशेष न्यायालय, पोक्सो-1, जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्धनगर श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा अपराध संख्या 41/2021 धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम, थाना सूरजपुर में झूठी गवाही देने के आरोपी भूपेंद्र शर्मा को अंतर्गत धारा 344 सीआरपीसी में अपना जुर्म मानने के उपरांत 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।